बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम

सबसे पहले अज़ीज भाईयो का शुक्रिया की उन्होने हमसे कहा कि हम आपके एतराज़ात के जवाबात मय सहीह दलील देने को तैयार है । लेहाज़ा हम नाचीज़ो की तरफ से चंद सवालात अकीदे, और अमल वगैरह पर आपकी खिदमत मे हाज़िर है । उम्मीद है आप इनके जवाबात कुरआन व हदीस की रौशनी मे देकर गुमराह उम्मत को हक के तरफ लाने मे मदद फरमाएगें । आमीन

फिकहा हनफी के उसूल की इबारत और कुरआन व हदीस

उसूल–ए–करखी जो उसूल फिकहा हनफिया मे सब से पहली किताब है । उस के सफा 7 मे फिकहा का उसूल इस तरह है :–

''कानून बयान करता है कि जो भी कुरआन की आयत हमारी मज़हबी किताब (फिकहा हनफी) के खिलाफ नज़र आये तो उसे न मानो और कहा जायेगा कि ये आयत मन्सूख है इसी लिये हमारे फुकहा ने उसे तसलीम नहीं किया है या फिर कहा जायेगा कि ये आयत मरजूह है ।''(नाऊजुबिल्लाह सुम्मा नाऊजुबिल्लाह) दोबारा कानून लिखता है :–

''कहता है कि जब कोई हदीस हमारे मज़हब के खिलाफ मिले तो कहा जायेगा कि ये हदीस मंसूख है । फिकहा हनफी को रद्द नही किया जायेगा । उस को मंसूख कहा जायेगा बल्कि कहा जायेगा कि दूसरी हदीस इस के मुकाबले की है इसी लिये तो इस को छोड़ा गया है । उन्हे कोई दूसरी दलील मिली है इस मे कोई न कोई नुक्स है । बाकी फिकहा मे कोई नुक्स नहीं है ।'' (नाऊजुबिल्लाह सुम्मा नाऊजुबिल्लाह)

सुब्हानअल्लाह । ये है आप का उसूल आपका असल मज़हब जबकि हमारी दावात है कि हम कहते है हममे नुक्स हो सकता है, इमामो मे नुक्स हो सकता है, मुजतहिद मे नुक्स हो सकता है, क़ाजियो मे नुक्स हो सकता है, हत्ता की दुनिया के हर शख्स मे नुक्स हो सकता है, मगर सरवरे कायनात मुहम्मद सल्लाल्लाहो अलैहि वसल्लम की हदीस और रब के कुरआन मे कोई नुक्स नहीं हो सकता ।

सवाल :– आप हमे ये बताईये की आपके मज़हब का ये उसूल किस बुनियाद पर है, और क्या आप अपने मज़हब के मानने वाले हर आम से आम आदमी तक अपना ये उसूल बयान कर दिया है, ताकि उसे मालूम रहे, कि वह किस चीज़ की पैरवी कर रहा है ।

अकीदे का बयान

ये सबसे आम मुसलमान को भी मालूम है कि ईमान की बुनियाद अकीदा होती है, अगर अकीदा दुरूस्त है तो सब ठीक वरना बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा अमल भी आपको दोज़ख की आग से बचा नहीं सकता । यानि अकीदा वो हो जिसकी तसदीक कुरआन व हदीस करते हो । मुलाहिजा हो :–

अकाईद की इब्तेदा से पहले हम उन्ही की जुबानी उन के मसलक की तर्जुमानी करवा देना ज्यादा बेहतर समझते है । मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी फरमाते है ''हम और हमारे मशाईख और हमारी जमाअत बहम्दुलिल्लाह फरूहात (मसाईल) मे मुकल्लिद है मुकतदाए खल्क इमाम हमाम इमामे आज़म अबु हनीफा नोअमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैहि के और उसूल व एतेकादयात (यानि अकीदे) मे पैरू है इमाम अबू अल हसन अशअरी और इमाम मंसूर मातुरीदी के और तरीकाए सुफिया मे हम को इन्तेसाब हासिल है सिलसिला आलिया हज़रत नक्शबंदिया और तरीका ज़कया मशाईख चिश्त और सिलसिला पिया हज़रात कादरिया और तरीका मरजिया मशाईख सहरवरदिया के साथ ।'' (अल मुहन्नद अला अल मुफन्नद 22)

मौलाना मुहम्मद युसुफ साहब लुधयानवी अपनी किताब ''इख्तेलाफ ए उम्मत और सिरात–ए–मुस्तकीम के सफा नं0 29 पर इस अकीदे की तसदीक करते हुए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लिखते है :–

''मेरे लिए देवबंदी बरेलवी इख्तेलाफ का लफ्ज ही हैरत है, आप सुन चुके है कि शिया सुन्नी इख्तेलाफ तो सहाबा किराम को मानने या न मानने की मसाईल पर पैदा हुआ, और हनफी वहाबी इख्तेलाफ अय्यमा हदी की पैरवी करने न करने पर पैदा हुआ लेकिन देवबंदी बरेलवी इख्तेलाफ की कोई बुनियाद मेरे इल्म मे नहीं है, इस लिये कि ये दोनो फरीक इमाम अबु हनीफा के ठेठ मुकल्लिद है, अकाईद मे दोनो फरीक इमाम अबु अल हसन अशअरी और इमाम अबु मंसूर मातुरीदी को इमाम व मुकतदा मानते

है तसव्वुफ व सलुक मे दोनो फरीक औलिया अल्लाह के चारो सिलसिलो कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी, नक्शबंदी मे बैत करते करवाते है ।

यानि हनफी हज़रात अकीदे मे मुकल्लिद है – अबु हसन अशअरी और अबू मंसूर मातुरीदी के और मसाईल मे – इमाम अबु हनीफा रहमतुल्लाह के । और बरेलवियो और देवबंदियो मे कोई फर्क खुद उनके उलेमा तसलीम नही करते है ।

सवाल :– क्या आपने अपने आम से आम पैरूकार को ये बताया है कि वो अकीदे मे इमाम अबु हनीफा का मुकल्लिद नहीं है, यानि इमाम साहब के अकीदे मे क्या खराबी थी जो आपने उन्हे अकीदे मे अपना इमाम नहीं माना, बल्कि उन्हे सिर्फ मसाईल मे अपना ईमाम माना और अकीदे मे अबू हसन अशअरी और अबू मंसूर मातुरीदी को इमाम बनाया ?और क्या आपने मज़हब के मानने वाले आम आदमी को ये बताया कि बाकी तीनो मजहब यानि शाफाई, हंबली, मालिकी अकीदे मे मसाईल मे एक ही इमाम के मुकल्लिद है सिर्फ हम ही निराले है ।

सवाल :– तसव्वुफ के चारो सिलसिले मे बैत करना कराना, कुरआन की किस आयत और किस सहीह हदीस से साबित है ?

सवाल :– वो कौन सी हदीस है जिस से ये साबित होता है कि फरोह मे इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीद वाजिब है लेकिन उसूल व अकाईद मे इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी चाहिये बल्कि अशअरी और मातुरीदी का मुकल्लिद होना चाहिये ?

सवाल :– इमाम अबू हनीफा रह0 का वह कौल कहा लिखा हुआ है जिस मे उन्होने फरमाया था कि उसूल व अकाईद मे मेरी तकलीद न करना बल्कि मेरे बाद पैदा होने वाले अशअरी और मातुरीदी की तकलीद करना ?

अकीदा वहदतुल वजुद

देवबंदियो के इमाम हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की (जिन की बड़े बड़े देवबंदी उलेमा ने बैत की मसलन मौलवी मुहम्मद कासिम नौनतवी, मौलवी मुहम्मद याकुब साहब, मौलवी अहमद हसन साहब, और मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब वगैरहूम) वे लिखते है :–

''मसला वहदतुल वजुद हक व सहीह है, इस मसला मे कोई शक नहीं है ।'' (शमाईम इमदादिया सफा 32, कुल्लियाते इमदादिया सफा 218)

सवाल 1 :- क्या आपने अपने मज़हब के मानने वाले आम आदमी से ये बताया है कि वहदतुल वजुद का मतलब अल्लाह का हर जगह हाजिर होना है । यानि अल्लाह अपनी ज़ात के साथ हर जगह हाज़िर व नाजिर है । और ये मसला कुरआन के खिलाफ है, क्योकि अल्लाह अपने कलाम मे फरमाता है :-

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

''वही है जिसने ज़मीन की सारी चीज़ो को पैदा किया । फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ । (सुरह बकरा आयत नं0 29)

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

''यकीकन मे तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानो और जमीनो को छे दिनो मे पैदा किया और फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ ।'' (सुरह आराफ आयत नं0 54)

और इसी तरह अल्लाह के अर्श पर होने का सबूत कुरआन मे सुरह युनुस आयत नं0 3 मे, सुरह राद आयत नं0 2,सुरह अल फुरकान आयत नं0 59, सुरह सज्दा आयत नं0 4, और सुरह हा मीम सजदा आयत नं0 11, सुरह हदीद आयत नं0 4 मे मौजूद है, क्या आपने अपने भोले भाले पैरूकारो से बयान कर दिया है कि उनका अकीदा कुरआन के खिलाफ है ।

सवाल 2 :-अकीदा वहदतुल वजूद का हक व सहीह होना किस सहीह हदीस से साबित है ?

सवाल 3 :–क्या ईमाम अबु हनीफा रह0 से ब सनद सहीह वहदतुल वजूद का अकीदा हक होना साबित है ?या फिर उन्होने कहा कि जिसने अल्लाह को अर्श पर नही माना वह काफिर है, क्या आप इमाम साहब के इस फतवे से मुतमईन है, क्योकि इमाम साहब आपके मसाईल के इमाम है ।

उलेमाए देवबंद के कौल व अकीदे

यहां पर किसी के अकीदे का मज़ाक उड़ाना हमारा मकसद नहीं है, ये सिर्फ इसलिये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हमारे कुछ भाई कहते है कि जो अकीदे हमारे उलेमा हमको बतायेगे हम तो वहीं अकीदा सही मानेगे, और अगर हमारे उलेमा हमे जहन्नम मे भी ले जायेगे तो हम खुशी खुशी जहन्नम मे जाने को तैयार है । इसलिये यहां पर कुछ मशहूर उलेमा इकराम के अकीदे उन्ही की कलम से आपके सामने पेश किये जा रहे ताकि इसका जवाब कुरआन व हदीस से मरहम्मत फरमा दे ।

(1) रशीद अहमद गंगोही साहब ने कई मर्तबा कहा :–

''सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है और ब कसम कहता हूं कि मै कुछ नहीं हूं मगर इस ज़माना मे हिदायत व निजात मौकूफ है मेरी इत्तेबा पर ।'' (तज़किरातल रशीद जिल्द 2 सफा 17)

सवाल 1 :– कुरआन की किस आयत से रशीद अहमद गंगोही की इत्तेबा करने का हुक्म अल्लाह ने फरमाया । जबकि मौजूदा कुरआन मे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक्म फरमाया गया है ।

सवाल 2 :– क्या आपके मजहब के हर आम आदमी तक ये अकीदा पहुंचाया गया है कि उसे अल्लाह या रसुल की नहीं बल्कि रशीद अहमद गंगोही की इत्तेबा का हुक्म है।

(2) रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते है :–

''कि इतने साल हजरत सल्लाल्लाहो अलैहि वसल्लम मेरे कल्ब मे रहे और मैने काई बात बगैर आप से पूछे नहीं की ।'' (अरवा सलासा सफा 308, हिकायत नं0 307)

सवाल :– ये अकीदा रखना कि मुहम्मद सल्लाल्लाहो अलैहि वसल्लम किसी के कल्ब मे रह सकते है और वो शख्स उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता किस कुरआन की आयत या हदीस से साबित है,

और क्या ये बात आपके हर आम आदमी को पता है कि उलेमा ए देवबंद के एक बड़े उलेमा का ये अकीदा रहा है ।

(3) सुरह जारियात की आयत नं0 21 के तर्जुमे मे तहरीफ करते हुए हाजी इमदादुल्लाह ने लिखा :-

''खुदा तुममे है क्या तुम नहीं देखते हो ।'' (कुल्लियाते इमदादिया सफा 31)

सवाल :- ये कहना की खुदा तुममे है किस सहाबी का अकीदा था ?

कब्र परस्ती

(1) अशरफ अली थानवी ने एक शख्स का किस्सा बयान किया कि वो अपने पीर के मरने के बाद उस की कब्र पर गया और कहा – ''हजरत मै बहुत परेशान और रोटियो को मोहताज हूं कुछ दस्तगीरी फरमाईये ।'' फिर उसे कब्र से रोज़ाना दो आने या आधा आना मिला करता था ।

(नाऊजुबिल्लाह)(इमदादुल मुश्ताक सफा 117, दुसरा नुस्खा सफा 123)

सवाल :- क्या आपने कभी बरेलवियों के कब्र परस्ती को नाजायज ठहराते हुए ये उन्हे बताया है कि हम भी यानि हमारे उलेमा भी हमे इसी अकीदे की दावात दिया करते है ?

सवाल 2 :- क्या कब्र से रोटी और पैसा मिल सकता है, क्या आप बता सकते है किस सहाबी को मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की कब्र से रोटी और पैसा मिला करता था ?

सवाल 3 :- क्या आपने अपने मानने वाले हर आम आदमी को इस बात की दावात दी है कि कब्र परस्ती मे बड़ी बरकत है और जरूरत की चीज कब्र वाला मुहैया करा सकता है ?

गैब जानना

(1) अशरफ अली थानवी ने अब्दुल्लाह खान नामी एक शख्स के बारे मे लिखा :-

''उन की हालत ये थी कि अगर किसी के घर मे हमल होता और वो तावीज लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे कि तेरे घर मे लड़की होगी या लड़का । और जो आप बतला देते वही होता था ।

(हिकायते औलिया अरवाह सलासा सफा 184,185 हिकायत नं0 147)

सवाल 1 :- क्या आपने अपने मानने वालो को बयान कर दिया है कि हमारे अकाबिर गैब की बात जान

लिया करते है । भले ही अल्लाह ये दावा करे की क्या कुछ मां के पेटो मे है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता । क्योकि अल्लाह फरमाता है :-

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

''बेशक उस घड़ी (कयामत) का इल्म अल्लाह ही के पास है । वही बारिश बरसाता है, और वहीं जानता है क्या कुछ मांओ के पेटो मे है ।'' (सुरह लुकमान आयत 34)

सवाल 2 :- क्या आपने अपने हर भोले भाले पैरूकार को बता दिया है कि हमारे उलेमा अल्लाह के फैसले के खिलाफ भी गैब जान लिया करते है । और वो बडे किस्मत वाले है कि उन्हे ऐसे उलेमा की सरपरस्ती हासिल है ?

सवाल 3:- क्या आप बता सकते है किस हदीस से तावीज़ लेना देना जायज होता है ?

(2) अशरफ अली थानवी साहब ने नबी के इल्मे गैब का जिक्र करते हुए लिखा :-

''अगर बाज उलूम ए गैबिया मुराद है तो उस मे हुजुर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम कि क्या तखसीस है ऐसा इल्मे गैब जेर उम्र बल्कि हर मजनू बल्कि जमिया हैवानात के लिये भी हासिल है ।'' (हिफ्ज अला इमान सफा 113)

सवाल :- ये कहना कि नबी सल्लाल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास (वही के जरिये से) जो बाज इल्मे गैब था, ऐसा इल्म गैब बच्चो, पागल, और हैवानो के पास भी है । किस हदीस से साबित है ?

(3) एक शख्स ने एक शैतानी ख्वाब देखा, जिस मे उस ने कलमा तैय्यबा गलत पढ़ा और बाद मे बेदार होने के बाद बे इख्तियारी से कहा :-

''अल्लाहुम्मा सल्ले अअला सैय्यदना व नबीयना व मौलाना अशरफ अली''

तो अशरफ अली ने उस शख्स को जवाब दिया ''इस वाकये मे तसल्ली थी कि जिस की तरफ तुम रूजु करते हो वो वो मुत्तबे सुन्नत है ।'' (अल ईमदाद अदद 8, जिल्द 3, माह सफर 1336 हिजरी सफा

35)

सवाल 1 :- क्या आपने सबको बता दिया कि हमारे उलेमा नबी होने का दावा करते है ?

सवाल 2 :- क्या किसी हदीस से साबित है कि मुत्तबेअ सुन्नत शख्स को नबी कहना जायज है ?

कुरआन व हदीस को छोड़ने की दावात

महमूद हसन देवबंदी ने कहा :-

''हक और इंसाफ ये है कि इस मसले मे शाफई को तरजीह हासिल है और हम मुकल्लिद है, हम पर अपने इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीद वाजिब है । वल्लाहू आलम (अल तकरीर तिर्मिजी सफा 36)

सवाल 1 :- कुरआन मजीद की वो कौन सी आयत है जिस से ये साबित होता है कि हक व इंसाफ मालूम होने और तसलीम करने के बावजूद इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीद करनी चाहिये और हक व इंसाफ को छोड़ देना चाहिये ?

सवाल 2 :- वो हदीस कहां है जिस से साबित होता है कि व इंसाफ पर अमल करने के बजाए अपने खुद साख्ता इमाम की तकलीद वाजिब है ?

क्या इमाम बनाना अल्लाह का काम नहीं है ?

लेहाज़ा वो जिस किसी को रिसालत अता फरमाता है उसे बनी नोह इंसान का इमाम व मताअ बना देता है, इमाम बनाना लोगो का काम नहीं । जो लोग रसुल सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरो को अपना मताअ और इमाम बना ले फिर उन्ही की इताअत करे उन्ही के फतवो को सनद आखिर समझे, वो शिर्क फी अलहुक्म के मुर्तकब होगें ।

सिर्फ रसूल ही अल्लाह की तरफ से लोगो के इमाम होते है, अल्लाह तआला फरमाते है :-

''ऐ इब्राहिम मै तुम्हे लोगो के लिए इमाम बना रहा हूं ।'' (सुरह बकरा आयत 124)

इब्राहिम जानते थे कि इमाम बनाना अल्लाह का काम है लेहाज़ा वो दुआ फरमाते है :-

قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ ﴿١٢٤﴾

''ऐ अल्लाह मेरी औलाद मे से भी (इमाम बनाना)'' (सुरह बकरा आयत 124)

दुसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते है :-

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ﴿٧٣﴾

''हम ने उन रसूलो को इमाम बनाया था, वो हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और हम ने उन को नेक काम करने की वही की थी ।'' (सुरह अल अंबिया आयत नं0 73)

सवाल :- क्या आपने लोगो से बताया है कि अल्लाह के बनाये हुए इमाम के अलावा हमने एक उम्मती को अपना इमाम खुद बना लिया है ?

क्या लोगो के बनाये हुए चारो मजहब बरहक है ?

चारो मजहब बरहक नहीं है, क्योकि अल्लाह तआला फरमाते है :-

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ ﴿٢٩﴾

''यही वो हक है जो अल्लाह की तरफ से है, अब जो चाहे माने जो चाहे इंकार कर दे ।'' (सुरह कहफ आयत 29)

सवाल :- क्या आपने लोगो से बता दिया है कि अल्लाह ने एक मजहब को ही हक कहा है, मगर हमने अल्लाह के फैसले के खिलाफ चार मजहब बना लिये है और चारो ही बरहक है ।

सहाबा रदिअल्लाह को मुदल्लिस कहना

हुसैन अहमद मदनी टांडवी ने सैय्यदना उबादा बिन सामित रजिअल्लाह तआला अन्हू के बारे मे कहा :–

''क्योकि बाज हदीसो के रावी उबादा है जो मुदल्लिस है।'' (तौजिए अल तिर्मिजी जिल्द 1 सफा 437, मदनी मिशन बुक डिपो, मदनी नगर, कलकत्ता 51)

सवाल 1 :– क्या आपने अपने हर आम भोले भाले पैरूकार को बताया है कि मुदल्लिस का क्या मतलब होता ? (मुदल्लिस के मायने होते है ऐसा शख्स जो किसी हदीस की सनद या मतन के ऐब को झूठ बोलकर छुपा दे)

सवाल 2 :– क्या आपने अपने पैरूकारो को बताया है कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत का नारा लगाने के बाद भी सहाबा किराम जैसे अजीम शख्सियतो को मुदल्लिस कहने का अकीदा रखते है, भले ही कुरआन उन बेहतरीन लोगो की अजमत की गवाही दे।

सवाल 3 :– ये कहना कि सैय्यदना उबादा बिन सामित रजिअल्लाह अन्हू मुदल्लिस थे, किस हदीस या असमा–ए–रिजाल से साबित है ?

सवाल 4 :– क्या उबादा बिन सामित रजिअल्लाहू अन्हू को इमाम अबू हनीफा रह0 ने भी मुदल्लिस समझा था ?

कुरआन व हदीस दलील नही

रशीद अहमद लुधयानवी ने कहा :–

'' इस लिये कि हम इमाम रहमतुल्लाह तआला के मुकल्लिद है और मुकल्लिद के लिये कौल–ए–इमाम हुज्जत होता है न कि कुरआन व हदीस।'' (इरशादुल कारी जिल्द 1 सफा 412)

सवाल :– ये कहना कि मुकल्लिद के लिये अदल अरबाह (कुरआन, हदीस, इजमाअ, इज्तेहाद) हुज्जत नहीं बल्कि सिर्फ कौले इमाम हुज्जत होता है किस आयते कुरआनी से साबित है ?

देवबंद से छपने वाली किताब ''तजल्ली'' का जवाब सवाल पूछने वाले को

देवबंद से छपने वाली किताब तजल्ली मे मुफ्ती साहब ने एक दिलचस्प जवाब दिया, उनसे एक

मसले मे यूं पूछा गया कि इस मसले का जवाब कुरआन व हदीस की रौशनी मे दे तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे ''कि साईल (सवाल पूछने वाला) अकसर कुरआन व सुन्न्त की रौशनी मे मसले का जवाब मांगते है मै उन की **ये ''गलतफहमी''** दूर करना चाहता हूं कि मुकल्लिद के लिये कुरआन व हदीस की रौशनी नहीं बल्कि उस के इमाम का कौल हुज्जत होता है ?

सवाल :– अब आपसे हमारा ये सवाल है कि क्या आप कुरआन कि किसी आयत से ये दावा साबित कर सकते है कि मुकल्लिद के लिए हुज्जत कुरआन व हदीस नहीं बल्कि उसके इमाम का कौल है ?

कुछ तबलीगी निसाब से

वैसे तो तबलीगी निसाब के हर हिस्से मे कुफ्र व शिर्क की दावात है, मगर हम यहां सिर्फ कुछ ही बाते लिख कर बस करते है ।

खाना–ए–काबा का लोगो की जियारत को जाना

मुहम्मद जकरिया कांधलवी साहब देवबंदी तबलीगी ने कहा :–

''और बाज बुजुर्गो से नकल किया गया कि बहुत से लोग खुरासन मे रहने वाले मक्का से ताल्लुक के एतबार से बाज उन लोगो से करीब है जो तवाफ कर रहे हो, बल्कि बाज लोग तो ऐसे होते है कि खुद काबा उन की जियारत को जाता है ।'' (फजाइल हज्ज सफा 111/885)

सवाल :– क्या कुरआन की किसी आयत या हदीस ए नबवी ये साबित है कि खुद काबा किसी की जियारत को जाता है ?

सवाल :– क्या मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाने के बाद काबा आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की जियारत को मदीना पहुंचा था ?

मरने का इल्म

जकरिया साहब लिखते है :-

''शेख अबू याकूब सूनूसी कहते है कि मेरे पास एक मुरीद आया और कहने लगा कि मै कल को ज़ोहर के वक्त मर जाऊंगा । चुनांचे दुसरी दिन ज़ोहर के वक्त मस्जिद हराम मे आया, तवाफ किया और थोड़ी दूर जाकर मर गया ।'' (फजाइले सदकात हिस्सा 2 300/658)

सवाल :- किस आयत से साबित है कि सुफियो और पीरो के मुरीदो को अपने मरने के सहीह वक्त को इल्म होता है ?

सवाल :- क्या आपने अपने आम से आम पैरूकार जो बेचारे दिन रात इस ही किताब की तिलावत करते रहते है उन्हे बताया दिया है ये अकीदा जो हम आपको सिखा रहे है ये कुरआन की सुरह लुकमान की आयत नं0 34 के खिलाफ है जिसमे अल्लाह फरमा रहा है कि ''कौन कब मरेगा इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है ।''

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا ـبُ

تَكۡسـ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

''बेशक अल्लाह तआला ही के पास कयामत का इल्म है, वही बारिश करता है और मां के पेट मे जो है उसे जानता है । कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ कमायेगा, **न किसी को यह मालूम है किस जमीन पर मरेगा** । याद रखो अल्लाह ही पूरे इल्म वाला और सच्चाई जानने वाला है ।'' (सुरह लुकमान सुरह नं0 31 आयत नं0 34)

सवाल :- अब आपसे हमारा सवाल है कि क्या आपने लोगो से बता दिया है कि अल्लाह भले उन 5 चीजो का इल्म गैब किसी को न दे फिर भी हमारे बुजुर्गो को वह इल्म हो जाता है, और ये बताने की तकलीफ करे कि ये इल्म किस तरह उनको मिला है ?

मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक कब्र से निकलना

इस शैतानी किस्से को लिखते हुए हम तहदिल से अल्लाह और उसके प्यारे रसुल मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम से शर्मिन्दा है कि, हमे अपने भोले भाले भाईयो की बंद आंखो को खोलने के लिए मजबूरन इस झूठे गढ़े हुए किस्से को बयान करना पड़ रहा है जिसकी तालीम दिनरात मस्जिदो मे दी जा रही है । अल्लाह रहम फरमाऐं, और हमारे भाईयो को भी इस शैतानी फितने से बाहर आकर कुरआन व हदीस की साफ फिज़ा मे सांस लेना नसीब फरमायें । आमीन

किस्सा कुछ यूं है :-

''सैय्यद अहमद रिफाई मशहूर बुजुर्ग अकाबिर सुफिया मे से है । उनका किस्सा मशहूर है कि जब **555** हिजरी मे वह जियारत के लिए हा़जिर हुए और कब्र अतहर के करीब खड़े होकर दो अशआर पढ़े तो दस्ते मुबारक बाहर निकला और उन्होने उसे चूमा ।(फजाईल दरूद हिन्दी सफा 163)

सवाल :- क्या आप बता सकते है कि किसी सहाबा रदि0 ने भी ऐसा कोई दावा किया है ?

सवाल :- इस दावे की सच्चाई साबित करने के लिए आपके उलेमा ने इस किस्से के सच्चा होने का फतवा भी दे दिया है । जिसे हम इस किताबचे के साथ लगा रहे है ।

الجامعة البنورية العالمية — دارالافتاء والقضاء

2584583 فیکس 2560300-2560430 فون www.jamiabinoria.net ویب سائٹ daruliftaa@gmail.com ای میل

6315

4/15/2009

الجواب حامداً و مصلیاً

واضح ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضۂ اقدس سے دست مبارک نکالنا اور اس کا بوسہ دیا جانا تاریخ سے ثابت اور درست ہے اور یہ سید احمد رفاعیؒ جو کہ مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں اُن کا قصہ ہے کہ جب وہ زیارت کیلئے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر دو شعر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا۔ (فضائل درود شریف ص ۱۲۸ ۔ اشرف الجواب) واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

مرتبہ: خادم حسین عفی عنہ
دارالافتاء جامعہ بنوریہ
۲۷ جمادی الثانی ۱۴۳۰ھ

सवाल :- आपसे से गुजारिश है कि कुरआन से और हदीस से दलील पेश करे की ऐसी बेहूरमती नबी की करना जायज है ? और उसकी सुबह शाम तालीम करना जायज है ?

मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि से एक और गुस्ताखी

बुजुर्ग फरमाते है कि एक रोज मुझे बहुत भूख लगी (ना मालूम कई दिन का फाका होगा) मैंनेअल्लाह जल्ल0शाहनहू से दुआ कि तो मैने देखा कि नबी सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस आसमान से उतरी और हुजूर अकदस सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के हाथ मे एक रोटी थी । गोया अल्लाह जल्ल0शाहनहू ने हुजूर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया था कि रोटी मुझे मरहमत फरमाए (फजाइले दरूद हिन्दी किस्सा 12 सफा 155)

सवाल :- क्या आप बता सकते है कि कुरआन की किस आयत से साबित है कि मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम इन कामों के लिए भेजे गये थे ।

सवाल :- और क्या मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि अपनी वफात के बाद भी लोगो को खाना खिलाने के काम मे लगाये गये है ?और क्या किसी सहाबी रदिअल्लाह ने भी इस किस्म का छिछोरा दावा किया है ?

मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की बेहुरमती

''एक शख्स (पता नहीं कौन बदबख्त वाजिबुल कत्ल था) ने ख्वाब देखा कि रशीद अहमद लुधयानवी देवबंदी के दारूल फतवा अल इरशाद मे सदरे अमरीका (अमरीकी राष्ट्रपति) रीगन (ईसाई, काफिर) आया है हत्ता कि नमाज का वक्त हो गया, लुधयानवी देवबंदी ने बहुत मुहब्बत के साथ रीगन से मुआनका किया फिर उससे इमामत के लिये कहा, इस के बाद रशीद अहमद लुधयानवी ने बनज़रे गौर रीगन की सूरत देख कर कहा –''ये सूरत नबी करीम सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की सूरत की शबीहा है'' । (रशीद अहमद की किताब अनवारूर रशीद तबाअ अव्वल 1404 हिजरी सफा 246)

सवाल :- क्या आपने सबको बताया है कि हमारे उलेमाए देवबंद को एक काफिर की सुरत नबी सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की सुरत की तरह नज़र आती है । (नाऊजुबिल्लाह)

सवाल :- रीगन काफिर की मकरूह सुरत तो अफजलुल बशर सैय्यदना मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की सुरत मुबारक से तशबीह देना किस आयत से साबित है ?

चूंकि इस तरह के ढेरो शिर्किया, कुफ्रिया अकीदे की भरमार इस मज़हब की किताबो मे दर्ज है हम इतने पर ही बस करते है क्योकि अगर सब बाते लिख दी जाये तो 500-1000 पेज की किताब बन

जायेगी । अगर कोई शख्स जो अल्लाह और उसके रसुल पर ईमान लाया है या लाने का फैसला कर रहा है तो उसकी आंखो को खोलने के लिए काफी होनी चाहिये ।

कुछ सवालात अमल के मुत्तालिक

सवाल 1 :- क्या रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम नमाज़ की नीयत ज़बान से करते थे,या इसे ज़बान से करने की तालीम दी ? (जबकि हनफी लोगो को ज़बान से नीयत करना सिखाते है, किस बुनियाद पर) ?

सवाल 2 :- क्या रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि ने हुक्म दिया था मर्द नाफ के नीचे हाथ बांधे नमाज़ मे और औरते सीने पर ?

सवाल 3 :- क्या रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजु मे गर्दन का मसह पुश्त कफ से करते थे ?

सवाल 4 :- क्या रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इमामत की शरायत मे अगर सब बराबर हो जाये तो इमामत वो करे जिसका सर बड़ा और शर्मगाह छोटी हो ?(जबकि हनफी फिकहा अपनी किताबो मे इस शर्त की तालीम देता है)

सवाल 5 :- क्या रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मर्द नमाज़ के आखिरी कादे मे अपने बांये पैर पर बैठे और औरत तवर्रुक (यानि अपने बांये पैर को दांये पैर के नीचे से निकाल कर कुल्हे पर बैठना) करे ? (जबकि हनफी ऐसी ही नमाज की तालीम देते है)

सवाल 6 :- क्या रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने रफायदैन को मंसूख किया है ?

सवाल 7 :- क्या एक दिरहम से कम निजासते ग़लीज़ा अगर कपड़े या बदन पर लग जाये तो उस को धोए बिना नमाज़ हो जायेगी ? (जबकि हनफी फिकहा की मोतबर किताबे इस बात की तालीम देती है)

सवाल 8 :- क्या रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि चारो इमामो मे से किसी एक इमाम की तकलीद लाज़िम है ?

देवबंदियो के पीर इब्ने अरबी का फैसला

इब्ने अरबी पाक व हिन्द के तमाम अहनाफ के तसव्वुफ मे पीर व मुर्शीद है बिल खसुस फिरका देवबंदिया की हयाती पार्टी (देवबंदिया का वह फिक्रा जो मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम को हयात मानने का अकीदा रखता है) और बरेलवी मकतबे फिक्र उनपर खास अकीदा रखते है ।

वे यानि इब्ने अरबी फरमाते है :–

''और वह मकामात जहां पर नमाज़ मे रफायदैन करने मे इख्तेलाफ है तो बाज़ का कहना है कि फकत तकबीरे तहरीमा के वक्त की जाए बाज का ख्याल है कि तकबीर तहरीमा और रूकू के वक्त और रूकू से उठते वक्त और बाज के नज़दीक सज्दा करते हुए और सज्दा से उठते हुए, और ये वाईल बिन हुज्र रदिअल्लाह की रिवायत है और बाज के नजदीक दो रकअत पढ़कर जब खड़े हो, ये नबी सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम से मालिक बिन हुवैरिस रदिअल्लाह की रिवायत है ।''

''और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैने एक मुबश्शरा ख्वाब मे रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम को देखा तो आप अलैहि सलातो वस्सलाम ने मुझे तकबीर तहरीमा और रूकू करते हुए और रूकू से उठते वक्त रफायदैन करने का हुक्म दिया ।'' (अल फतुहात सफा 537, बात 69, जिल्द 1, इसरार सलात)

लीजिये साहब आपके पीर का फैसला आपके सामने है ।

हनफी फिकहा के मशहूर किताबो के फतवे

यहां पर हिदाया, शरह विकाया, दुर्रे मुख्तार वगैरह के फतवे पेश कर रहे है, और हिदाया तो हनफियो के यहां इतनी मोतबर मानी जाती है कि उसके मुकदमे मे ही लिखा है कि हिदाया कुरआन के मानिन्द है । (नाऊजुबिल्लाह सुम्मा नाऊजुबिल्लाह)

(1) नाफ के नीचे हाथ बांधने की हदीस हज़रत अली रदिअल्लाह अन्हू का कौल है और वह जईफ है, मरफू हदीस नहीं है । (शरह विकाया मिस्री सफा 93)

लीजिये साहब कुरआन व सुन्नत की नहीं तो अपनी किताब की ही मान लीजिये ।

(2) सुरह फातेहा पढ़े बगैर किसी की नमाज़ कुबुल नहीं होती ।(हिदाया जिल्द 1 सफा 361)

लीजिये साहब आपकी कुरआन की मानिन्द किताब (नाऊजुबिल्लाह) क्या हुक्म दे रही है ।

(3) हक ये है कि आहज़रत सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम से रफायदैन सहीह साबित है । (हिदाया जिल्द 1 सफा 386)

(4) यही रफायदैन वाली आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की नमाज़ रही यहां तक की अल्लाह तआला से मुलाकात हुई ।(हिदाया जिल्द 1 सफा 386)

लीजिये साहब आपकी किताब जो कुरआन के मानिन्द है (नाऊजुबिल्लाह) ने फैसला कर दिया कि आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम वफात तक रफायदैन करते रहे । अल्लाह और उसके रसुल की नही तो कम से कम अपनी किताब की ही बात मान लीजिये ।

क्या एक ही मसले पर हलाल व हराम का फर्क हक हो सकता है?

चारो इमामो के कौलो मे एक ही मसले पर हराम व हलाल का फर्क पाया जाता है मसलन :-

(1) दारूल हर्ब (जहां इस्लामी हुकुमत न हो) मे काफिर से सूद का लेन देन करना हंफी मज़हब मे हलाल और दूसरे तीनो मजहब मे हराम ।

सवाल :- क्या आप अब भी कहेगे की चारो बरहक है । एक ही मसले को आप हराम और हलाल होने पर भी हक कहेगे ?

(2) हैवान की बैअ सलम हंफी मजहब मे हराम, दुसरे मज़ाहिब मे हलाल ।

सवाल :- क्या आप अब भी कहेगे की चारो बरहक है । एक ही मसले को आप हराम और हलाल होने पर भी हक कहेगे ?

(3) जबरदस्ती की तलाक हंफी मज़हब मे हो जाती है । दूसरे मज़ाहिब मे हराम है, नहीं होती।

सवाल :- क्या आप अब भी कहेगे की चारो बरहक है । एक ही मसले को आप हराम और हलाल होने पर भी हक कहेगे ?

(4) बिज्जू, गोह, घोड़ा, मेढ़क, मुर्दा मछली जो पानी पर तैरे, हंफी मज़हब मे हराम और दूसरे मज़हब मे हलाल ।

सवाल :- क्या आप अब भी कहेगे की चारो बरहक है । एक ही मसले को आप हराम और हलाल होने पर भी हक कहेगे ?

(5) हिबा की हुई चीज हंफी मज़हब मे औलाद से वापस ली जा सकती है । दूसरे मज़हब मे नहीं ली जा सकती ।

सवाल :- क्या आप अब भी कहेगे की चारो बरहक है । एक ही मसले को आप हराम और हलाल होने पर भी हक कहेगे ?

(6) तवाफ के लिए हंफी मज़हब मे पाकी शर्त नहीं, शाफाई और हंबली मे शर्त है ।

सवाल :- क्या आप अब भी कहेगे की चारो बरहक है । एक ही मसले को आप हराम और हलाल होने पर भी हक कहेगे ?

(7) बिना वली के निकाह हंफी मज़हब मे जायज है । शाफाई मे बातिल ।

सवाल :- क्या आप अब भी कहेगे की चारो बरहक है । एक ही मसले को आप हराम और हलाल होने पर भी हक कहेगे ?

इन सबके आखिर मे हम चाहते है कि हम आपका ध्यान अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस फरमान की तरफ कराये, जिसमे अल्लाह ने ऐन ऐसी ही सुरत पेश आने पर अपने बंदो को क्या हुक्म दिया है, इसका जिक्र मुनासिब मालूम होता है , चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते है :-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ وهُ

فَرُد إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

''ऐ ईमान लाने वालो अल्लाह का हुक्म मानो और रसुल का हुक्म मानो और उनका जो तुममे हाकिम है, फिर अगर किसी मसले पर उनमे इख्तेलाफ हो जाये तो उस बात को अल्लाह और रसुल की तरफ लौटाओ अगर तुम अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखते हो । यही तरीका बेहतर है और नतीजे के एतेबार से बहुत अच्छा है ।'' (सुरह निसा आयत 59)

अभी आपने ऊपर देखा कि ढेर सारे मसलो मे चारो इमामो के फतवे हराम और हलाल के है, और प्यारे भाईयो हलाल और हराम का फर्क दीन नहीं हो सकता इसलिये अल्लाह का हुक्म जो सुरह निसा मे ईमान वालो के लिए है, कि फिर उस बात को अल्लाह और रसुल के तरफ लौटाओ तो भाई आपसे इसी बात की गुजारिश है कि इन इख्तेलाफ को अल्लाह और रसुल की अदालत(कुरआन व हदीस) मे पेश करिये, क्योकि अल्लाह ने कहा है नतीजे के ऐतबार से यही बेहतर है ।

वा आखरूदवानि वलहम्दुलिल्लाहे रब्बिल आलमीन ।

इस्लामिक दावाअ सेन्टर,
रायपुर छत्तीसगढ़